

WESTERN RAILWAY

P.S.No.18/2011

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP (Pass)768/0

Date: 28.01.2011


To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn, 'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Entitlement of Pass facilities under MACPS – Clarification reg.
=====

A copy of Railway Board's letter No.PC-V/2009/ACP/2 dated 12.1.2011 [PC-VI/245 and RBE No.6/2011] is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter dated 10.6.2009 referred to therein has been circulated vide this office letter dated 18.6.2009 (P.S.No.109/09)

Encl: As above.


(Rita Hemrajani)
For General Manager(E)

Copy of Railway Board's letter No.PC-V/2009/ACP/2 dated 12.1.2011 [PC-VI/245 and RBE No.6/2011] addressed to the General Manager, All Zonal Railways and Production Units.

Sub: Entitlement of Pass facilities under MACPS – Clarification reg.
Ref: Board's letter of even number dated 10.06.2009.

The issue regarding the entitlement of privilege and other passes in case of employees who have been granted financial upgradation under the MACP Scheme has been under consideration.

2. In terms of Para 16 of Annexure of Board's letter referred to above, financial upgradation under the MACP Scheme is personal to the incumbent and entitles the employee to certain benefits which are linked to the pay drawn by the employee. Hence, the benefit of Passes/ PTOs corresponding to the next higher Grade Pay granted under the MACP Scheme will be available to the employee. It is also reiterated that the grant of financial upgradation under the MACP Scheme does not entail any change in the designation, classification and status of an employee. Accordingly, the benefits related to higher status inherent in the higher Pay Band and / or Grade Pay is not available to such an employee who has been granted higher Grade Pay under the MACP Scheme.

3. This issue with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Hindi version is enclosed.

पश्चिम रेलवे

पी.एस.सं.18/2011

प्रधान कार्यालय,

चर्चगेट, मुंबई.

सं.ई पी (पास)768/0

दि. 28-01-2011

सभी मं.रे.प्र. /मु.का.प्र. और युनिट इनचार्ज .

प्रति : महामंत्री- वे.रे.ए.यू.-ग्रांटरोड/वे.रे.म.सं.-मुंबई सेंट्रल.

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया अ.जा./अ.ज.जा.रेल कर्म.. एसो. 'वेस्ट' ब्लोन,मुंबई .

प्रति: महामंत्री- ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेल कर्मचारी.एसोसिएशन , मुंबई.

विषय : आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत पास सुविधाओं की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण ।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 12.01.2011 का पत्र सं.पीसी -V/2009/एसीपी/2(पी सी- VI/245 और आर बी ई सं.6/2011) की प्रतिलिपी सुचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है ।

उसमें उल्लेखित रेलवे बोर्ड के दिनांक 10.06.2009 के पत्र को इस कार्यालय के दिनांक 18.06.2009 के पत्र (पी एस सं.109/2009) के अंतर्गत परिपत्रित किया गया है ।

संलग्न : यथोक्त

(रीटा हेमराजानी)
कृते महाप्रबंधक (स्था)

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को तथा अन्यो को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2011 का पत्र सं.पीसी -V/2009/एसीपी/2(पीसी-VI/245 और आर बी ई सं.6/2011) की प्रतिलिपी ।

विषय : आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत पास सुविधाओं की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण ।

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 10.06.2009 का समसंख्यक पत्र ।

उन कर्मचारियों के मामले में, जिन्हें आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन दिया गया है, सुविधा तथा अन्य पासों की पात्रता से संबंधित मुद्दों विचाराधीन है।

2. बोर्ड के उपर्युक्त पत्र के अनुबंध के पैरा 16 के अनुसार, आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन पदधारी के लिए व्यक्तिगत है तथा इससे कर्मचारी कतिपय ऐसे लाभों के लिए पात्र होगा जो कर्मचारी द्वारा लिए जाने वाले वेतन से जुड़े हैं। अतः कर्मचारी को आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई अगले उच्चतर ग्रेड पे के तदनुसूची पास / पी.टी.ओ के लाभ उपलब्ध होंगे। यह भी दोहराया जा रहा है कि आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने से उक्त कर्मचारी के पदनाम, वर्गीकरण तथा ओहदे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तदनुसार, उस कर्मचारी को उच्चतर पे बैंड तथा / अथवा ग्रेड पे में अंतर्निहित उच्चतर ओहदे से संबद्ध लाभ उपलब्ध नहीं होंगे। जिसे आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर ग्रेड पे प्रदान किया गया है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
